प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1187 सन 2021
अनवान :–

1. सन्तोष देवी पत्नी मदनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. लक्ष्मी कुमारी पुत्री मदनचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सरोज कुमारी पुत्री मदनचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 28/28 की कुल 2.7830हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम के नाम से दर्ज है जो वादीया का पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का पिता है मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम का देहान्त हो चुका है मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम वादी का पति है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गावं के संग अभ्यिान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम के नाम से दर्ज है जो वादीया का पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का पिता है मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम का देहान्त हो चुका है मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 28/28 की कुल 2.7830हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम के नाम से दर्ज है जो वादीया का पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का पिता है मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम का देहान्त हो चुका है मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 28/28 की कुल 2.7830हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... भुकरका

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सन्तोष देवी पत्नी मदनचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 लक्ष्मी कुमारी पुत्री मदनचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सरोज कुमारी पुत्री मदनचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक– 11.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 28/28 की कुल 2.7830हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मदनचन्द्र उर्फ गोपालचन्द्र पुत्र बीझाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....भुकरका